E Mail I.D.:- cfgarhwalp@gmail.comcfgarhwal555@gmail.com , Phone & Fax :- 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांकः– 2074 / , दिनांक, पौड़ी, अप्रैल, 25 2024.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में कुलिंग से दिदिंना मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**
प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/145990/2021

सन्दर्भः– **आपकी पत्र सं0–5005/12–1 दिनांक 05.04.2024**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में इस कार्यालय पत्रांक 1419/12–1 दिनांक 09.01.2024 से चाही गई सूचना प्रेषित की गई है। प्रस्ताव की हार्ड प्रति दिनांक 20.04.2024 को प्राप्त हुई। प्रस्ताव का ऑनलाईन एवं हार्ड प्रति से परीक्षण किया गया जिसमें–

आपके द्वारा प्रेषित मूल प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 891, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 548, परिवेश पोर्टल में पार्ट–।। के पैरा 13 Additional information details के क्र0सं0–2 में 548, अधोहस्ताक्षरी को व्हाट्सएप्प से प्रेषित बिन्दु सं0–6 में 739, सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय में प्राप्त हुआ के बिन्दु सं0–6 में कलम से अभिलिखित 891 किया गया है। एक ही प्रकरण में अलग–अलग संख्या प्रस्तुत करने पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या में अत्यन्त भ्रामक की स्थिति बनी हुई है जिसमें स्पष्ट है कि पेड़ों की संख्या में गंभीरता प्रस्तुत नही की गई है व लचरता पूर्वक प्रस्ताव अग्रसारित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त आपके द्वारा प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र–डुंग्री का प्राक्कलन 2000 पौध प्रति है0 तथा परिवेश पोर्टल में पार्ट–।। के पैरा 13(iv) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र ग्राम–सूईया का प्राक्कलन 1100 पौध प्रति है0 प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन व प्राक्कलन में भी भ्रम की स्थिति है, जो कार्य प्रणाली वास्तविकता संकित करती है।

प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय स्तर से इस प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य है। प्रस्ताव आपको मूल में इस आशय से लौटाया जा रहा है कि प्रस्ताव का भलिभांति निरीक्षण/परीक्षण कर प्रस्ताव प्रेषित करें। भविष्य में भी प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व समस्त अभिलेखों का समुचित परीक्षण कर लें।

संलग्नकः– प्रस्ताव मूल में।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त,उत्तराखण्ड,पौड़ी।

पत्रांकः– 2074/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि
1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रकरण की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग स्तर से आपको भी प्रेषित किया गया है अतः सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी चमोली, को सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त,उत्तराखण्ड,पौड़ी।

//Jaideep//

O/C